संख्या-42/2018/1244/सैंतीस-2-2018-1(36)/15टीसी

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद,
बादशाहबाग, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-29 मार्च, 2018

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र (रा.यो.) योजनान्तर्गत अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, रहमानखेड़ा-लखनऊ के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1767(5)/यूपीएलडीबी/एइएस/अ.हि.वी.उ.के.रह.खे.:क्वैस्टे./2017-18, दिनांक-21.03.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र (रा.यो.) योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, रहमानखेड़ा-लखनऊ के सुदृढ़ीकरण से सम्बन्धित प्रायोजना की आंकलित लागत रू0-229.04 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष रू0-114.52 लाख (रूपये एक करोड़ चौदह लाख बावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा धनराशि आहरित कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगेः-

1. प्रश्नगत कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था 'यू.पी. प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0' द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, वस्तुतः जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर अन्य मद/प्रयोजन में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता होगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को धनराशि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
4. प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता का होगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये।
5. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
6. स्वीकृत धनराशि से निर्माण कार्य पी.डब्ल्यू.डी. शिड्यूल रेट से कराया जायेगा।
7. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में निर्धारित अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।
9. प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य किया जायेगा।
10. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत किया जायेगा।
11. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
12. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-102-पशु तथा भैंस विकास-07-अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-42/2018/1244(1)/सैंतीस-2-2018- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे स्वीकृत धनराशि आहरित कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद को उपलब्ध करायें।
3. संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3
7. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in